न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 199/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. अणदाराम पुत्र खीमाराम राईका निवासी– नाकोडा 2. उदा पुत्र हिमा 3. भूरा पुत्र परागा 4. मंगला पुत्र हिमता 5. राणा पुत्र हिमता 6. सरदारा पुत्र हिमता 7. सांवला पुत्र हिमता जातियान घांची, निवासी–लोहीडा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी, जिला बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 24.07.2022 जो उपखंड अधिकारी सिणधरी, जिला बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 207/2022 अनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी बनाम मालाराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. **श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।**
2. **श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।**

निर्णय

दिनांक 26 फरवरी, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 130, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लोहिडा/नाकोडा के अलग–अलग खसरान भूमि में से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसे गैर मुमकीन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार, सिणधरी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2022 के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरान भूमि में से मौके पर चल रास्ते की रकबा भूमि का राजस्व

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते सम्बन्धी तरमीम करने के आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि अपीलार्थी को पूर्व में उक्त आदेश पारित होनेकी जानकारी थी क्योंकि अपीलान्ट को बिना सुने आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट को गांव में दिनांक 10.11.2022 को जानकारी हुई कि नरेगा योजना के तहत सडक का निर्माण अपीलार्थी की भूमि ख0सं0 146 व 165 की माठ पर किया जावेगा तथा पटवारी हल्का द्वारा जमाबन्दी में हुए इन्द्राज को दिखाया एवं आदेश की जानकारी दी तब अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 15.11.2022 को आदेश एवं अन्य रेकर्ड की नकले प्राप्त की अतः अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा कर अन्दर म्याद शुमार किया जावें। राज0 अधिवक्ता द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार नहीं किये जाने का कथन किया। म्याद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से गलत, सुस्पष्ट विधि के विपरित मनमाना व त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अपीलान्टस संख्या 1 से 6 की खातेदारी की भूमि ख0सं0 146 में स्थित है जो मेगा हाईवे पर स्थित है व दक्षिणी माठ पर बंधे के लिये राज्य सरकार ने अनुदान से उक्त माठ वर्षो पूर्व बनाई ताकि वर्षा का पानी नहीं जा सके। उक्त माठ पर बडे बडे पेड खडे है और माठ पर से कोई रास्ता नहीं चलता है, इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 7 की भूमि ख0सं0 165 ग्राम नाकोडा में स्थित है जिसमें से पहले से एक कटाणी रास्ता निकलता है जो आगे जाकर मुख्य सडक से मिलता है। ख0सं0 165 के पश्चिम में जिन लोगों के खेत है वे पहले से ही मेगा हाईवे से चिपते हुए है और कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं है। नरेगा योजना के तहत सडक निर्माण से पूर्व खातेदारों की लिखित सहमति जरूरी होती है, परन्तु उल्लेखित प्रकरण में कोई लिखित सहमति नहीं ली व न ही मौके पर कोई रास्ता चलता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि स्थानिय सरपंच ने नरेगा योजना के तहत सडक निर्माण करना बताकर तहसीलदार से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश कर तुरन्त कार्यवाही करवाते हुए दिनांक 14.7.2022 को आदेश पारित करवा लिया और ख0सं0 151, 149, 153, 153/3, 165, 157, 146 की माठ पर से रास्ता

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

निकालने व भूमि की किस्म बदलने का आदेश दे दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व हम खातेदारान को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया और बाला–बाला फैसला कर दिया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी भी प्रकार का सुनवाई का नोटिस नहीं दिया और न ही मौके की कोई रिपोर्ट तलब की गई। जिस स्थान से रास्ता निकालने का आदेश दिया है वहॉ दो गांवों की सरहद मिलती है और बडे बडे पेड खडे है, कोई रास्ता प्रचलन में नहीं है और न ही किसी खातेदार द्वारा कोई रास्ते की मांग की गई, मात्र सरपंच के द्वारा अपने रिश्तेदार ख0सं0 149/2 व 153/3 की भूमि में से रास्ता नहीं निकाल ख0सं0 165 अपीलान्ट की भूमि में रास्ता घुमाने का प्रयास किया है जो संलग्न नक्शे से स्पष्ट हो जाता है। ख0सं0 160/3 व 160/2 के बीच कटाणी रास्ता चल रहा है जो मेगा हाईवे से मिलता है। उक्त प्रकार की सभी कार्यवाही केवल सरकारी राशि का हडप करने के उद्देश्य से की गई है। सडक निर्माण का कोई कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त राज0 काश्तकारी अधिनियम स्वयं में रास्ता खुलवाने व नया रास्ता उपलब्ध करवाने के विशेष प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परिपत्रों की आड में खातेदार के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है ऐसे में अपीलाधीन तमाम कार्यवाही अनाधिकारपूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश विधि विपरित होने से निरस्त करने योग्य होने से निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम लोहिडा/नाकोडा के उल्लेखित खेत खसरान में रास्ता मौके पर चालू पाये जाने पर उक्त रास्ते का अंकन/तरमीम राजस्व रेकर्ड में किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश तथा इस कार्यालय के द्वारा वादग्रस्त खसरान भूमि की तलब की मौका रिपोर्ट इत्यादि का

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, सिणधरी के द्वारा उपरोक्त प्रकरण प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया एवं उक्त खसरान भूमि में से चल रहे रास्ते का राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन दर्ज करवाने पर खातेदारान की सहमति दर्शाते हुए खसरान भूमि में से चल रहे रास्ते का अंकन राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है जबकि दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है कि अपीलान्टगण के द्वारा ऐसी कोई सहमति प्रदान की गई हो। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस/खातेदारान को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाना प्रतीत होता है। प्राकृतिक एवं नैसर्गिक के सिद्धान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व विधि अनुसार सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि तहसीलदार के द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट/नक्शे में अपीलान्टस की खातेदारी खेत खसरान संख्या 146 व 165 में से वर्तमान में कोई रास्ता संचालित नहीं होना दर्शाया गया है। अतः उपरोक्त आब्जर्वेशन, प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलान्टस के उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार सिणधरी की ओर से प्रेषित मौका रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए एवं अपीलान्ट को अपना पक्ष एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश में संशोधन कर यथोचित आदेश पारित करे। निर्णय आज दिनांक 26 फरवरी, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर